प्र.सं. 20 / 2023 जी.सी.एम.एस. नं. : 2023 / 48

इण्डियन स्कूल फाईनेंस कम्पनी बनाम समिन्द्र सिंह सन्धा आदि

अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधि. 2002

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
04.04.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी से ऋण लिया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति बैंक के पास बंधक रखी थी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि भुगतान का व्यतिक्रम करने पर अप्रार्थीगण के खाते को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत किया गया। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के तहत साठ दिवस का नोटिस प्रेषित किया गया। ऋणि द्वारा कम्पनी को देय राशि का भुगतान नहीं किया गया हैं। अतः अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी कम्पनी के पास बंधक रखी अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी को पुलिस सहायता से दिलाए जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों यथा रजि. रसीदें एवं रजि. डाक के ऑनलाईन ट्रेक रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। धारा 14 के तहत आवेदन प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन के साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु के प्रति समाधान हो जाने के आधार पर कार्यवाही किया जाना होता हैं। धारा 14 के तहत प्रतिभूत लेनदान को अपने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करने हुए घोषित करना आवश्यक हैं कि धारा 13(2) के तहत सूचना नोटिस प्रेषित करने के उपरान्त नोटिस ऋणि पर तामील हो गया हैं, उधार लेने वाले से सूचना के उतर में प्राप्त आक्षेप या अभयावेदन पर प्रतिभूत लेनदार द्वारा विचार कर लिया गया है और ऐसे आक्षेप या अभ्यावेदन को स्वीकार न करने के कारण उधार लेने वाले को संसूचित कर दिया गया हैं। प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत शपथ पत्र में ऋणि की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त होने अथवा नहीं होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई अंकन नहीं किया गया हैं। साथ ही प्रार्थी कम्पनी धारा 14 के तहत कार्यवाही हेतु प्रतिभूत लेनदार के रूप में अधिकृत हैं इस संबंध में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं। ऐसी स्थिति में आवेदन स्वीकार योग्य [illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अ[illegible] क[illegible]तिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति [illegible] खारिज किया जाता हैं। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। **आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 0[illegible].2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।** (अवधेश मीना) जिला कलक्टर अनूपगढ़ **I.A.S.** **कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट** **अनूपगढ़**	

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:52:48 IST
Reason: SelfAttested